

أحكام فقهية

(باللغة الهندية)



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالزلفي

أحكام فقهية – اللغة الهندية

फ्रिक्ही मसाइल

(जकात, लिबास, निकाह
और खाने पीने के मसाइल)



المكتب النعاوني للدعوة والإرشاد
ونوعية الحالات بالزاغي



أحكام فقهية - اللغة الهندية

إعداد وترجمة : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الأولى : ١٤٣٩ / ٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٣٩ هـ

ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

أحكام فقهية باللغة الهندية . / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالزلفي . - الزلفي ، ١٤٣٩ هـ

.. ص .. سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٣-٠٢-٢

١ - العبادات (فقه الإسلامي) - الأحكام الشرعية أ. العنوان

١٤٣٩ / ٥٧٠٤

ديوي ٢٥١

رقم الإيداع: ٥٧٠٤ / ١٤٣٩

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٣-٠٢-٢

ज़कात के अहकाम

ज़कात इस्लाम का तीसरा रुक्न है और मुसलमान जब निसाब का मालिक होता है तो उसपर ज़कात वाजिब होती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوِا الزَّكَاءَ [البقرة: ٤٣]

यानी, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। (सूरह अल बक्रा, आयत 43)

ज़कात की व्यवस्था कायम होने की बेशुमार हिकमतें हैं, जिनमें से कुछ ये हैं:

1. लालच और बखीली जैसी बुरी आदतों से अपने आप को बचाये रखना।
2. मुसलमान को एहसास का अभ्यस्त बनाना।
3. मालदारों और गरीबों के बीच मुहब्बत की बुनियादों को मज़बूत करना। क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि जो उनके साथ अच्छा सलूक करता है, वह उनसे मुहब्बत करते हैं।
4. गरीब मुसलमानों की ज़रूरत पूरी होती है।
5. इंसान को गुनाहों और गन्दगियों से पाक व साफ करना क्योंकि उसके कारण इंसानों के दर्जे बुलन्द होते हैं और गुनाह मिटते हैं।



किन चीजों पर ज़कात वाजिब है?

ज़कात सोना, चांदी, व्यापार का सामान, चौपाये जानवर और ज़मीन से उपजने वाले ग़ल्ले, और खनिज पदार्थों पर वाजिब होते हैं।

सोना और चांदी की ज़कात

सोना और चांदी, चाहे वह जिस रूप में हों, जो निसाब का मालिक होगा, उनपर ज़कात वाजिब होगी। सोना का निसाब 20 मिस्काल है जो 85 ग्राम के बराबर होता है। और चांदी का निसाब 200 नबवी दिरहम है जो 595 ग्राम के बराबर होता है। इस आधार पर जो सोने और चांदी के निसाब का मालिक होगा तो मौजूद हिस्से का 2.5 प्रतिष्ठत ज़कात वाजिब होगी।

यदि वह रूपये पैसे की शक्ल में ज़कात निकालना चाहता हो तो उसे चाहिए कि उसके मौजूद सामान पर जिस समय साल पूरा हो रहा है, उस वक्त सोना और चांदी के एक ग्राम की कीमत मालूम करे और उसकी कीमत के हिसाब से नक़द रूपये ज़कात में निकाले।

उसकी मिसाल यह है यदि किसी के पास 100 ग्राम सोना हो तो जब साल पूरा होगा तो उसपर ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि वह निसाब का मालिक है। उसमें 2.5 ग्राम ज़कात होगी। लेकिन यदि कोई इंसान उसकी ज़कात रूपये पैसे की शक्ल में निकालना चाहता हो तो साल पूरा होने के वक्त सोने का मूल्य मालूम करे और पूरे माल की



कीमत निकाले और जो रकम बनी उसका 2.5 प्रतिष्ठत ज़कात निकाल दे। और चांदी के मामले में भी ऐसा ही करे

अब यदि किसी के पास नक़द पैसा है जो उसे साहिबे निसाब बनाता है, और उसपर साल भी गुज़र जाए तो उसमें ज़कात वाजिब होगी।

यदि किसी के पास इतना रुपया पैसा हो जो 85 ग्राम सोने की कीमत के बराबर हो तो उसमें ज़कात वाजिब होगी और 2.5 प्रतिष्ठत के हिसाब से ज़कात अदा करेगा।

अतएव मुसलमान के पास यदि माल हो और उसको एक साल गुज़र जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह सोना बेचने वाले के पास जाए और 85 ग्राम सोने की कीमत मालूम करे। यदि उसके पास इतनी रकम मौजूद हो जितना कि सोनार ने बताया है, तो ज़कात देगा। लेकिन अगर कम है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसकी मिसाल यह है:

यदि किसी इंसान के पास 800 रियाल मौजूद हो और उसपर साल गुज़र जाए तो यदि उसके यहाँ चांदी को नक़द का बदला माना जाता है, तो वह चांदी का मूल्य मालूम करेगा। अब यदि 595 ग्राम चांदी का मूल्य 840 रियाल हो तो उसपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्योंकि उसके पास जो माल है वह निसाब को नहीं पहुंचा है। इसी तरह से सोने के साथ किया जाए।



इस्लामी फ़िकह

व्यापार के सामान पर ज़कात

जिस मुसलमान व्यापारी के पास धन दौलत हो, जिससे वह व्यापार कर रहा हो तो उसपर अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करने और अपने भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से साल में एक बार ज़कात देना वाजिब है।

व्यापार के सामान में कुछ भी हो सकता है। जानवर, गल्ला, खाने पीने का सामान, आदि हर चीज़ शामिल है जिसे लाभ अर्जित करने के लिए बेचा और खरीदा जाता है।

इस ज़कात की शर्त यह है कि सोने या चांदी में से किसी से कीमत लगाएं तो वह निसाब को पहुंच जाए। उसकी कीमत का 2.5 प्रतिष्ठत देना वाजिब होगा।

अब यदि किसी इंसान के पास एक लाख रियाल की कीमत के बराबर व्यापार का सामान है तो उसपर 2500 रियाल ज़कात वाजिब होगी। व्यापारियों को चाहिए कि वह हर वर्ष के शुरुआत में उसके पास मौजूद व्यापार के सामान की कीमत का अनुमान लगायें और उसकी ज़कात अदा करें।

यदि किसी व्यापारी ने साल पूरा होने से दस दिन पहले कोई सामान खरीदा हो तो दूसरे सामानों के साथ उसमें भी ज़कात वाजिब होगी। क्योंकि व्यापार के पहले दिन से ही उसके साल की शुरुआत हो गयी थी।

ज़कात साल में एक बार वाजिब होती है। अतः हर मुसलमान को हर साल ज़कात अदा कर देनी चाहिए।



वह जानवर जिन्हें चारा खिलाया जाता है यदि उन्हें व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो तो उनपर ज़कात वाजिब होगी। चाहे वह संख्या की दृष्टि से निसाब को पहुंचा हो या न पहुंचा हो। जब उनकी कीमत ज़कात की हद को पार कर जायेगी तो उसमें ज़कात वाजिब हो जायेगी।

शेयर्स की ज़कात

इस ज़माने में लोगों के पास शेयर्स की शक्ल में सम्पत्ति मौजूद है। कुछ लोग शेयर्स में पूँजी लगाते हैं जो कई वर्षों तक घट्टा बढ़ता रहता है। इस शेयर्स में भी ज़कात है, क्योंकि इसे भी व्यापार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस लिए लोगों को चाहिए कि हर साल उसकी कीमत को देखे और उसकी ज़कात अदा करें।

गल्लों और फलों की ज़कात

उन सभी अनाजों में ज़कात वाजिब है जिन्हें नापा जा सके और जमा किया जा सके। जैसे खजूर, किशमिश, गेहूं, जौ, चावल आदि। अलबत्ता फ़लों और सब्जियों पर ज़कात वाजिब नहीं है।

इन चीजों पर तब ज़कात वाजिब होता है जब वह निसाब को पहुंच जाएं। और उनका निसाब 612 किलो ग्राम है। इसमें साल गुज़रने की शर्त नहीं है। बल्कि जब फल पक जाए या अनाज तैयार हो जाए। अब यदि वह वर्षा के पानी से या नहर के पानी से सैराब हुआ हो और किसान का खर्च न हुआ हो तो उसमें दसवां हिस्सा वाजिब होगा।



लेकिन यदि सींचाई में खर्च हुआ हो तो उसमें बीसवां हिस्सा वाजिब है।

इसकी मिसाल यह है कि यदि किसी ने गेहूं की खेती की और उसे 800 किलो ग्राम गेहूं हुआ तो उसपर ज़कात वाजिब होगा। इसका कारण यह है कि गेहूं का निसाब 612 किलो ग्राम है।

यदि खेती बिना किसी तकलीफ़ और खर्च के सींची गयी हो तो उसमें उसे दसवां हिस्सा यानी 80 किलो ग्राम ज़कात वाजिब होगी, अन्यथा 40 किलो ग्राम देना होगा जबकि सींचाई में खर्च हुए हों।

चौपायों की ज़कात

चौपाया (जानवरों) से अभिप्रेत ऊंट, गाय, बकरी, और दुंबे हैं। उनमें निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़कात वाजिब होगी।

1. निसाब को पहुंच जाए। ऊंट का निसाब 5 है बकरी, दुंबे का चालीस और गाय की तीस है। इसके सिवा दूसरी चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं है।
2. मालिक के पास रहते हुए साल गुज़र जाए।
3. वह जानवर चरने वाला हो यानी साल के अधिकांष हिस्सों में मैदानों में चरता हो। अलबत्ता चारा या खरीदी हुई चीज़ों को खाने वाले जानवरों पर ज़कात वाजिब नहीं है
4. वह जानवर काम करने वाला न हो जिसे इंसान खेती के काम में या सामान ढोने के काममें लाता हो



इस्लामी फ़िकह

ऊंट की ज़कात

ऊंट जब निसाब को पहुंच जाएं तो उनमें ज़कात वाजिब होगी और ऊंट का निसाब 5 ऊंट है। यदि किसी आदमी के पास पांच से नौ तक ऊंट हों और उनपर साल गुज़र जाए तो उसमें एक बकरी वाजिब होगी।

यदि उसके पास 10 से 14 तक ऊंट हों तो उस पर दो बकरियां वाजिब होंगी। अगर उसके पास 15 से 19 तक ऊंट हों तो उनमें 3 बकरियां वाजिब होंगी।

अगर उसके पास 20 से 24 तक ऊंट हों तो उनमें 4 बकरियां वाजिब होंगी। अगर उसके पास 25 से 35 तक हों तो उनमें ऊंट का एक साल का बच्चा वाजिब होगा। यदि उसके पास एक साल का बच्चा न हो तो वह दो साल तक का बच्चा दे सकता है।

यदि उसके पास 36 से 45 के बीच ऊंट हों तो उसे ऐसा ऊंट का बच्चा ज़कात में देना होगा जिसका दो साल पूरा हो चुका हो। यदि किसी के पास 46 से 60 के बीच ऊंट हों तो उसे तीन साल का ऊंट का बच्चा ज़कात में देना होगा। अगर उसके पास 60 से 75 ऊंट हों तो उसे चार साल का ऊंट ज़कात में देना होगा।

यदि उसके पास 76 से 90 ऊंट हों तो उसे दो साल के दो ऊंट के बच्चे ज़कात में देने होंगे। अगर उसके पास 91 से 120 ऊंट होंगे तो उसे तीन-तीन साल के दो ऊंट के बच्चे ज़कात में निकालने होंगे। और अगर उससे ज़्यादा हों तो हर चालीस पर दो साल का और हर पचास



इस्लामी फ़िकह

पर तीन साल का ऊंट का बच्चा देना होगा। नीचे दिये गये नक्शे में ऊंट में वाजिब ज़कात की कैफ़ियत बतायी गयी है।

संख्या		ज़कात	संख्या		ज़कात
से	तक		से	तक	
5	9	एक बकरी	36	45	दो साल का ऊंट
10	14	दो बकरी	46	60	तीन साल का ऊंट
15	19	तीन बकरी	61	75	चार साल का ऊंट
20	24	चार बकरी	76	90	दो साल के दो ऊंट
25	35	एक साल के ऊंट का बच्चा	91	120	तीन साल के दो ऊंट

यदि इससे ज्यादा हो तो फिर हर चालीस ऊंट में एक दो साल का ऊंट और हर पचास में एक तीन साल का ऊंट वाजिब होगा।



गाय की ज़कात

यदि किसी व्यक्ति के पास 30 से 39 के बीच गायें हों तो उनमें एक साल का बछड़ा वाजिब होगा। यदि उसके पास 40 से 59 तक गायें हों तो उनमें दो साल की एक गाय वाजिब होगी। यदि उसके पास 60 से 69 तक गायें हों तो उनमें एक—एक साल के दो बछड़े वाजिब होंगे। यदि उसके पास 70 से 79 के बीच गायें हों तो उसमें दो साल की एक गाय और एक साल का बछड़ा वाजिब होगा।

उसके के बाद हर तीस गायों पर एक साल का एक बछड़ा और हर चालीस गायों पर दो साल की एक गाय वाजिब होगी। गायों की संख्या जितनी भी ज़्यादा हो जाए, यही फार्मूला अपनाया जायेगा

संख्या		ज़कात
से	तक	
30	39	एक साल का एक बछड़ा
40	59	दो साल की एक गाय
60	69	एक साल के दो बछड़े
70	79	दो साल की एक गाय और एक साल का एक बछड़ा



बकरी की ज़कात

यदि किसी व्यक्ति के पास 40 से 120 के बीच बकरियां हों तो उसपर उनमें एक बकरी वाजिब होगी। यदि 121 से 200 तक हों तो उसमें दो बकरियां वाजिब होंगी। यदि उससे एक अधिक हों और 399 के बीच हों तो उसमें तीन बकरियां वाजिब होंगी। उसके बाद एक अधिक हों 499 तक तो उसमें चार बकरियां वाजिब होंगी। उसके बाद एक भी अधिक हों 599 तक तो उसमें 5 बकरियां वाजिब। और फिर हर सौ में एक बकरी वाजिब होगी, चाहे बकरियों की संख्या जितनी भी पहुंच जाए।

संख्या		ज़कात
से	तक	
40	120	एक बकरी
121	200	दो बकरियां
201	399	तीन बकरियां
400	499	चार बकरियां
500	599	पांच बकरियां

ज़कात किन को दिया जाए

अल्लाह तआला فَرْمَاتَ:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ



इस्लामी फ़िकह

وَفِي الرُّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي السَّبِيلُ فَرِیضَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ [التوبه: ٦٠]

यानी, 'सदके केवल फ़कीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और उनको वसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिल रिझाए जाते हैं। और गर्दन छुड़ाने में और कर्जदारों के लिए और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। (सूरह अल तौबा, आयत 60)

अल्लाह तआला ने आठ किस्म बयान किये हैं उनमें हरेक को ज़कात दिया जा सकता है। इस्लाम में ज़कात या तो सामाजिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होता है या ज़रूरतमन्दों में बांटा जाता है। अन्य धर्मों या दीनों की तरह से यह केवल इस्लामी कानूनों के जानकार लोगों के लिए ही ख़ास नहीं हुआ करता है।

- फ़कीर:** जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें आधे से भी कम हों।
- मिस्कीन:** जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें आधे से ज़्यादा हों, अलबत्ता उससे उसकी ज़रूरत पूरी न होती हो तो उसे ज़रूरत पूरी करने पर कुछ महीनों तक या एक साल तक ज़कात दी जायेगी।
- ज़कात वसूल करने वाले:** ये वे लोग हैं जिन्हें बादशाह ने ज़कात वसूली के लिए नियुक्त किया हो और ये लोग उस काम के लिए वेतन न लेते हों। तो उन्हें उनके काम



इस्लामी फ़िकह

के अनुसार जो उनकी शान के मुताबिक हो, उजरत दी जायेगी। यद्यपि वे लोग मालदार ही क्यों न हों।

4. जिन का दिल नर्म (तालीफे कल्ब) करना हो: इससे अभिप्रेत कौम के वैसे सरदार हैं जिनके इस्लाम स्वीकार करने की उम्मीद हो। या मुसलमानों को उनकी दुष्टता से सुरक्षित करना हो। उसी तरह इस्लाम में नये दाखिल होने वाले लोगों को भी तालीफे कल्ब के उद्देश्य से और उनके दिलों को ईमान पर मज़बूत करने के मक्सद से ज़कात दी जा सकती है।

5. गुलाम आज़ाद कराने के लिए: इसी तरह गुलाम को आज़ाद कराने और दुश्मनों के चंगुल से कैदियों को आज़ाद कराने में भी ज़कात का माल दिया जा सकता है।

6. कर्ज़दारों को: इससे अभिप्रेत वे लोग हैं जिनके ज़िम्मे कर्ज़ हों तो कर्ज़ अदा करने के लिए उन्हें ज़कात दी जा सकती हैं। शर्त यह है कि कर्ज़दार मुसलमान हो और मालदार न हो और अपना कर्ज़ अदा करने का सामर्थ्य न रखता हो। उसने कर्ज़ गुनाह के काम के लिए न लिया हो। और वह कर्ज़ मौजूद वक्त में हो।

7. अल्लाह की राह में: इससे अभिप्रेत सवाब की प्राप्ति के लिए जिहाद करने वाले लोग हैं जो वेतन नहीं मांगते तो उन्हें ज़कात दिया जायेगा। या उनके हथियार खरीदने के लिए ज़कात का माल खर्च किया जायेगा। जिहाद में इल्म की प्राप्ति भी शामिल है।



इस्लामी फ़िकह

अतएव यदि कोई इंसान शरई ज्ञान की प्राप्ति के लिए फ़ारिग़ होना चाहता हो और उसके पास माल न हो तो उसे ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जिस से वह इल्म हासिल कर सके।

8. مُسَافِرَوْنَ كَوْ: इससे अभिप्रेत वह मुसाफिर है जिसका ज़ादेराह खत्म हो गया हो तो उसे ज़कात में से इतना माल दिया जायेगा जिस से वह अपने वतन पहुंच सके। यद्यपि वह अपने वतन में मालदार ही क्यों न हो।

ज़कात को मस्जिदों के निर्माण और रास्तों की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।

नोट:

1. समुद्र से निकलने वाली चीज़ों में जैसे मोती, मोंगे और मछली आदि में ज़कात वाजिब नहीं है। हां, यदि उनका व्यापार किया जाए तो ज़कात वाजिब हो जायेगी।

2. किराये पर दिये गये मकानों और फैविट्रियों आदि में ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता किराये पर यदि साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होगी।

मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति एक घर किराये पर दे और किराया वसूल करे और उस रक़म पर या उस रक़म के कुछ हिस्से पर एक साल गुज़र जाए तो यदि वह निसाब तक पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में उस पर ज़कात वाजिब होगी।



खाने पीने के अहकाम

अल्लाह ने अपने बन्दों को पवित्र चीज़ों को खाने का हुक्म दिया है और अपवित्र चीज़ों को खाने से मना किया है। अल्लाह का इर्शाद है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيَّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة: ١٧٢]

‘ऐ ईमान वालो! जो पवित्र चीज़ें हम ने तुम्हें दे रेखी हैं उन्हें खाओ पियो (सूरह अल बकरा आयत 172)

खाने पीने की चीज़ों में असल हिल्लत है अर्थात् कुछ चीज़ों को छोड़ कर जिनकी हुमत बयान कर दी गयी है बाकी चीज़ें हलाल हैं। अल्लाह ने मोमिनों के लिए पवित्र चीज़ों को हलाल किया है ताकि वे उन से लाभ उठाएं अतः गुनाह करके अल्लाह की नेमतों से लाभ उठाना जायज़ नहीं है।

अल्लाह ने खाने पीने की हराम चीज़ों को बयान कर दिया है। अल्लाह का इर्शाद है:

وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِزْتُمْ إِلَيْهِ [آل النعيم: ١١٩]

“अल्लाह ने उन सब जानवरों का विस्तार से ज़िक्र कर दिया है जिनको तुम पर हराम किया है मगर वे भी जब तुम को सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। (सूरह अल अनआम आयत 119)



इस्लामी फ़िकह

अल्लाह ने जिन चीजों को हराम नहीं करार दिया है वे हलाल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِصَ فَلَا تُضْيِغُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ
مُحْدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحُثُوا عَنْهَا

अल्लाह ने कुछ चीजें फर्ज की हैं तुम उन्हें बर्बाद न करो। उसने कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी हैं तुम उन सीमाओं से आगे न बढ़ो। उसने कुछ चीजों को हराम ठहरा दिया है तुम उनका उल्लंघन न करो, उसने तुम्हारी हमदर्दी में भूले बिना कुछ चीजों के बारे में खामोशी अखित्यार की है, तुम उनके बारे में खोद कुरेद न करो। (तबरानी)

हर वह चीज़ जिसका तअल्लुक़ खाने पीने और पहनने ओढ़ने से है और जिसकी हुरमत को अल्लाह ने और उसके रसूल ने स्पष्ट नहीं किया है उसे हराम ठहरा देना जायज़ नहीं है। इस سिलसिले में पूर्ण रूप से कायदा यह है कि खाने की वह चीज़ जो पवित्र हो और उसमें कोई हानि न हो वह जायज़ है और खाने की हर वह चीज़ जो अपवित्र हो हानिकारक हो जैसे मुर्दार, खून, शराब, बीड़ी सिगरेट, वह चीज़ जिसमें नापाकी मिल गयी हो, ये सब हराम हैं। इस लिए कि ये खबीस और हानिकारक चीजें हैं।

हराम मुर्दार से मुराद वह जानवर है जो शर्की तौर पर ज़बह किए बिना मर गया हो, खून, से मुराद ज़बीह का बहने वाला खून है। वह खून जो ज़बह करने के बाद गोश्त के खलियों और रगों में बाकी रह जाए वह हलाल है।



इस्लामी फ़िकह

खाने की मुबाह व जायज़ चीज़ें दो तरह की हैं। एक हैवानात, दूसरी नबातात (बनस्पति)। इनमें से वे चीज़ें हलाल हैं जिनका कोई नुक़सान नहीं है। हैवानात दो तरह के हैं एक जो ज़मीन के ऊपर खुशकी में रहते हैं और दूसरे वे जो पानी में रहते हैं। जो जानवर समुद्र में या कहीं भी पानी के अन्दर रहते हों वह पूरे तौर पर हलाल है। इन पानी के जानवरों के लिए ज़बह करने की भी शर्त नहीं है क्योंकि पानी के जानवरों में से मुर्दार भी जायज़ हैं। खुशकी में रहने वाले जानवर आम तौर पर मुबाह हैं सिवाए उनके जिन्हें इस्लाम ने हराम ठहरा दिया है और वे यह हैं:

1. पालतू गधे, और सुअर
2. वे जानवर जिनके खाने के नोकीले दांत हों जिनसे वह शिकार को फाड़ खाता है इससे गोह मुस्तस़ना है। परिन्दे आम तौर पर मुबाह हैं सिवाए उनके जिनकी हुर्मत को स्पष्ट कर दिया गया है जैसे:

क. वे परिन्दे जो पंजों से शिकार करते हैं। इन्हे अब्बास रजिओ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हर नोकीले दांत वाले दरिन्दे और पंजों से शिकार करने वाले परिन्दों को खाने से मना किया है। (सही मुस्लिम 1934)

ख. वे परिन्दे जो मुर्दार खाते हैं जैसे गिद्ध, और कब्बा, क्योंकि ये दोनों खबीस चीज़ों को अपनी खूराक बनाते हैं।

वे जानवर भी हराम हैं जिनसे घिन महसूस होती है जैसे सांप, चूहा और कीड़े मकोड़े। इनके अलावा जो भी जानवर



इस्लामी फ़िकह

और परिन्दे हैं वे हलाल हैं जैसे घोड़ा, चौपाए, मुर्गी, जंगली गधा, हिरन, शुतुर मुर्ग और खरगोश आदि।

इससे गन्दगी खाने वाली गाय मुस्तस्ना है क्योंकि इस की खुराक का ज्यादा तर हिस्सा नापाकी है। इसे खाना हराम है हां अलबत्ता यदि उसे तीन दिनों तक बांध कर रखा जाए और पाक साफ़ चीज़ खाने को दी जाए तो उसे खाना जायज़ है।

नमाज़ के लिए मस्जिद जाने से पहले बदबूदार चीज़ें जैसे प्याज़ लहसुन आदि को खाना मकरूह है। जो व्यक्ति हराम खाने के लिए मजबूर हो जाए जैसे यदि वह उस हराम चीज़ को नहीं खाता है तो उसे जान जाने का डर हो तो केवल जान बचाने की हद तक उसके लिए उस हराम चीज़ को खाना जायज़ है लेकिन ज़हर इससे मुस्तस्ना है अर्थात् किसी भी हाल में ज़हर खाना जायज़ नहीं है।

किसी का गुज़र बाग के फलों के पास से हो, वे फल चाहे पेड़ पर लगे हुए हों या गिरे हुए हों और उसके आस पास दीवार न हो और न कोई चौकीदार या हिफाज़त के लिए कोई इन्सान हो तो उस गुज़रने वाले के लिए उस फल में से खाना जायज़ है लेकिन अपने साथ उन फलों को ले जाना जायज़ नहीं है। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना या कोई पथर आदि फेंक कर फल को तोड़ना या इकट्ठा किए हुए फलों में से खाना जायज़ नहीं है, हां अलबत्ता सख्त ज़रूरत हो तो खा सकता है।



इस्लामी फ़िकह

ज़बह के अहकाम

खुश्की में रहने वाले जानवरों के हलाल होने के लिए शर्त यह है कि उसे शर्ओती तरीके से ज़बह किया जाए। इसके लिए खुश्की में रहने वाले उन जानवरों को जिनका गोश्त खाया जाता है ज़बह करने के लिए उनकी गर्दन और खूराक की नली को काट दिया जाता है और जिस जानवर के साथ ऐसा सम्बन्ध न हो उसकी कोंचें काट दी जाती हैं।

जिस हैवान को ज़बह करने पर कुदरत हासिल हो उसे ज़बह किए बिना उसका कोई भी हिस्सा हलाल नहीं है इस लिए कि बिना ज़बह हुआ जानवर मुर्दार के हुक्म में रहता है।

ज़बह करने की शर्तें

1. ज़बह करने वाले इस काम के लिए योग्य हो अर्थात् यह कि वह आकिल व मुसलमान या आकिल और किताब वालों में से हो। अतएव पागल, नशा की वजह से मदहोश और छोटे बच्चे जो समझ ना रखते हों का ज़बह किया हुआ जानवर जायज़ नहीं होगा, इस लिए कि ये लोग होश व हवास और अक्ल से महरूम होने की वजह से ज़बह की नीयत व इरादा भी सही तौर पर नहीं कर सकते। इसी तरह काफिर, मूर्ति पूजक, मजूसी और कब्र परस्त का ज़बीहा भी जायज़ नहीं है।

2. ज़बह करने के आले (यंत्र) का मौजूद होना। हर प्रकार के तेज़ धार वाले हथियार से जानवर को ज़बह करना जायज़ है जिससे जानवर का खून बह जाए चाहे वह हथियार लोहे का हो या किसी दूसरी चीज़ का हो, हाँ



इस्लामी फ़िक्रह

अलबत्ता हड्डी या नाखून से जानवर को ज़बह करना जायज़ नहीं है।

3. गर्दन को काटना: इससे मुराद सांस की गुजरगाह है। ज़बह करते समय गर्दन के साथ खूराक की नाली और दो शह रगों को काटना भी ज़रूरी है।

ज़बह करने के लिए जानवर की इस खास जगह का तैयार करना और उसके इन खास अंगों को काटने की हिक्मत यह है कि इसकी वजह से खून तेज़ी के साथ बह जाता है इस लिए कि यह जगह रगों के इकट्ठा होने का मकाम है इन जगहों पर छुरी चलाने से रुह तेज़ी के साथ निकल जाती है इसकी वजह से जानवर का गोश्त बड़ा अच्छा होता है और जानवर को तकलीफ़ भी कम होती है।

पकड़ से बाहर होने की वजह से जिन जानवर को इन जगहों पर ज़बह करना और छुरी चलाना संभव न हो जैसे शिकार आदि तो फिर उसके लिए ज़बह यही है कि उसके जिस्म के किसी हिस्सा को घायल किया जाए और जो जानवर घायल हो गया या गला घुटने से या किसी चीज़ के ज़ोर से लगने से या ऊँचाई से गिर पड़ा हो या किसी दूसरे जानवर की सींग से घायल हो गया हो या उसे दरिन्दे ने चीर फ़ाड़ दिया हो तो ऐसे तमाम जानवरों को इस शर्त के साथ खाना हलाल है कि वह ऐसी हालत में मिल जाए जबकि उसके अन्दर ज़िन्दगी की कोई रमक़ मौजूद हो फिर उसे शर्ओती तरीके से ज़बह कर दिया जाए।

इस्लामी फ़िकह

4. ज़बह करने वाले जानवर को ज़बह करते समय बिस्मिल्लाह कहे और बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है।

ज़बह के शिष्टाचार

1. ऐसे हथियार से जानवर को ज़बह करें जो तेज़ हो।
2. हथियार को जानवर के सामने तेज़ करना मकरूह है।
3. ज़बह करते समय जानवर को किल्ला रुख़ करना अफ़्ज़ल है।
4. जानवर की गर्दन तोड़ना और जान निकल जाने से पहले उसका चमड़ा उतारना मकरूह है। सुन्नत यह है कि गाय और बकरी को बाएं पहलू पर लिटा कर ज़बह किया जाए और ऊंट को खड़ा करके उसके अगले बाएं पांव को बांध कर नहर किया जाए।

शिकार का हुक्म

ज़रूरत के तहत शिकार करना जायज़ है लेकिन खेल तमाशे व मनोरंजन के लिए शिकार करना मकरूह है। शिकार के घायल हो जाने और पकड़ लिए जाने के बाद उसकी दो हालतें हो सकती हैं।

1. शिकार इस हाल में पकड़ा जाए जबकि उसके अन्दर ज़िन्दगी की रस्मक मौजूद हो। ऐसे शिकार को ज़बह करना ज़रूरी है।



इस्लामी फ़िकह

2. या फिर शिकार ऐसी हालत में मिले जबकि वह मर चुका हो या फिर उसके अन्दर ज़िन्दगी की मामूली रमक हो तो वह इस हालत में भी हलाल होगा।

शिकार के लिए भी वही शर्तें हैं जो ज़बह के लिए हैं।

1. अर्थात् यह कि वह आकिल, मुसलमान या किताबी हो। मुसलमान के लिए उस शिकार को खाना जायज़ नहीं है जिसे पागल या नशे में मदहोश या मजूसी या मूर्ति पूजक या किसी दूसरे काफिरों ने शिकार किया हो।

2. हथियार का तेज़ होना भी शर्त है जिससे खून बह जाए। हड्डी या नाखून आदि को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया गया हो। शिकार उस हथियार की धार से घायल हुआ हो न कि उसके बोझ से। जहां तक शिकारी कुत्ते और परिन्दे की बात है जिनसे शिकार किया जाता है तो यदि ये शिकारी जानवर सिखाए हुए हों तो इनका पकड़ा हुआ शिकार जायज़ है।

शिकारी कुत्ते या परिन्दे की तरबियत

यह है कि जब आप उसे शिकार की तरफ़ जाने को कहें तो वह शिकार पकड़ने के लिए चला जाए और शिकार को पकड़ने के बाद अपने मालिक के लिए उसे रोक कर रखे, यहां तक कि मालिक उसके पास पहुंच जाए, न यह कि वह अपने लिए शिकार को पकड़े।

3. शिकार के हथीयार को शिकार करने के इरादे से छोड़ा जाए, यदि शिकार का भाला हाथ से छूट जाए और उससे



इस्लामी फ़िकह

कोई जानवर कृत्त्व हो जाए तो वह जानवर हलाल नहीं होगा क्यों कि शिकार करने का इरादा नहीं किया गया।

इसी तरह कुत्ता अपने आप शिकार की तरफ दौड़ जाए और उसे मार डाले तो वह शिकार हलाल नहीं होगा क्यों कि यहां भी शिकार करने का इरादा नज़र नहीं आता और मालिक ने उसे शिकार करने के लिए नहीं छोड़ा है। किसी ने एक शिकार पर निशाना लगाया वह निशाना दूसरे शिकार को लग गया या उस निशाने की वजह से कई परिन्दे या जानवर मर गए तो ये सारे के सारे हलाल होंगे।

चेतावनी: अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल तीन कामों के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त दी है अर्थात् शिकार करने के लिए, चौपाए की निगरानी के लिए या खेती की निगरानी के लिए। इसके अलावा किसी और मक़सद से कुत्ता पालना हराम है।



लिबास के अहकाम

इस्लाम सफाई सुथराई और जमाल व साज सज्जा को पसन्द करने वाला दीन है। इस्लाम ने मुसलमानों के लिए अच्छे ढंग से पहनने ओढ़ने और बनाव सिंगार को अपनाने को मुबाह करार दिया है और इसके लिए उभारा भी है। अल्लाह ने ऐसे लिबास उपलब्ध कर दिए हैं जिनसे सतर पोशी और साज सज्जा हासिल होती है। अल्लाह का इर्शाद है:

بَأَنْبَيِ أَدَمَ قَذْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَسَا يُوَارِي سَوْاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَأْسُ التَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ [الأعراف: ٢٦]

‘ऐ आदम की औलाद! हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे पोशीदा अंगों को भी छुपाता है और श्रृंगार का सबब भी है और तक़वा का लिबास, यह उससे बढ़ कर है। यह अल्लाह की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। (सूरह अल आराफ आयत 26)

लिबास के मामले में भी असल हिल्लत है सिवाय उन लिबासों के जिनकी हुर्मत नस से स्पष्ट कर दी गयी है। इस्लाम ने किसी खास प्रकार के लिबास को निष्चित नहीं किया है कि केवल उसी को पहना जा सकता है। अलबत्ता उसने कपड़ों के लिए कुछ नियम तै किए हैं। एक मुसलमान के लिबास में उन नियमों की पाबन्दी है, वे नियम ये हैं:

1. लिबास सतर पोशी करने वाला हो। जिस्म के हिस्सों की नुमाइश करने वाला न हो।



इस्लामी फ़िकह

2. उस लिबास से काफिरों या उन लोगों की समानता न झलकती हो जो बुराइयों और मुन्करात करने के लिए मशहूर हैं।

3. उस लिबास के अन्दर फुजूल खर्ची और घमंड का पहलू न हो। लिबास के मामले में इन नियमों की पाबन्दी करते हुए एक मुसलमान अपनी ज़रूरत और आदत के मुताबिक लिबास इस्तेमाल कर सकता है। लिबास व पोषाक की बिरादरी की वे चीज़ें जिनकी मनाही शरीअत में आयी हैं ये हैं:

1. मर्दों के लिए रेशमी लिबास और सोने का इस्तेमाल हराम औरतों के लिए ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं। इस की दलील अली बिन अबी तालिब रजिर से मर्वी यह हदीस है कि नबी करीम سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम को अपने दाएं हाथ में और सोने को अपने बाएं हाथ में लिया और फ़रमाया ‘ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं (अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा)

मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है जिसमें चांदी का इस्तेमाल हुआ हो और मर्द आम तौर पर उस तरह की चीज़ पहनते हों।

1. चांदी की तस्वीर वाली चीज़ें पहनना या इस्तेमाल करना: मुसलमान के लिए ऐसा लिबास पहनना जायज नहीं है जिसमें इन्सान या हैवान की तस्वीर हो, चाहे ये तस्वीरें कपड़े पर हों या ज़ेवरात पर हों या इस्तेमाल की



इस्लामी फ़िक्र

किसी दूसरी चीज़ पर हो, आयशा रजियल्लाहु अन्हाकी रिवायत है कि उन्होंने एक छोटा तकिया खरीदा जिसपर तस्वीरें थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो दरवाज़े पर ठहर गए और घर के अन्दर दाखिल नहीं हुए। आयशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने आपके चेहरे पर ना पसन्दीदगी के निशान देखे तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ रुजू करती हूं मैंने कौन सा गुनाह किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ये छोटा सा तकिया कहां से आया है? मैंने कहा: मैंने इसे आपके लिए खरीदा है ताकि आप उस पर बैठें और टेक लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيَقُولُ هُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

कियामत के दिन इन तस्वीरों को बनाने वालों को अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो बनायी थी उनमें जान भी डालो, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस घर के अन्दर तस्वीरें हों उसमें फ़रिष्टे दाखिल नहीं होते हैं।

3. मर्दों के लिए कपड़े को टखनों से नीचे लटकाना हराम है। अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:



इस्लामी फ़िक्र

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ
दोनों टखनों से नीचे जो कपड़ा लटकाया जाएगा वह जहन्म में होगा। (बुखारी 5787)

इस हदीस में कपड़े, पाजामे, पैन्ट और चादर आदि को टखने से नीचे लटकाने की मनाही है। यह केवल उन लोगों के साथ खास नहीं है जो घमंड की वजह से ऐसा करते हैं, जो घमंड की वजह से ऐसा करेगा उसके लिए और ज्यादा सख्त सज़ा है।

इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

مَنْ جَرَّ ثُوبَةً خُبَيْلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘जिसने घमंड में अपने कपड़े को ज़मीन पर घसीटा, कियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ नजरे रहमत से नहीं देखेगा। (मुत्तफ़्क अलैह 2085, 3665)

4. इतने बारीक कपड़े पहनना जायज़ नहीं जिनसे सतर छुप न सकता हो और न इतना तंग व चुस्त कपड़े पहनना जायज़ है जो अंगों को ज़ाहिर कर दें। यह मनाही मर्दों व औरतों दोनों के लिए है।

लिबास व पोशाक में औरतों के लिए मर्दों की समानता और मर्दों के लिए औरतों की समानता अपनाना हराम है। इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया



इस्लामी फ़िकह

لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

औरतों को समानता अखित्यार करने वाले मर्दों और मर्दों की समानता अखित्यार करने वाली औरतों पर लानत की है। (सही बुखारी 5885)

6. लिबास में काफिरों की समानता अखित्यार करना भी हराम है। एक मुसलमान के लिए उन लिबासों का पहनना जायज़ नहीं है जो काफिरों के लिए खास हैं। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म पर ज़र्द रंग के दो कपड़े देखे तो आपने फ़रमाया: यह कुफ़्फ़ार के कपड़े हैं इन्हें इस्तेमाल न करो। (मुस्लिम 2077)

लिबास की सुन्नतें और उसके शिष्टाचार

1. एक मुसलमान को लिबास के मामले में सुन्नतों पर भी अमल करना चाहिए। उनमें से एक यह है कि नया कपड़ा पहनते समय दुआ पढ़ी जाए। इसकी दलील अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। वे बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेते चाहे वह कमीस होती या अमामा, फिर यह दुआ पढ़ते.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسُوتَنِي أَسأْلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٌ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهِ، وَشَرٌّ مَا صُنِعَ لَهُ



इस्लामी फ़िकह

अल्लाहम्म लकल हम्द अन्त कसौतनीहि असअलुक मिन खैरिहि व खैरि मा सुनिअ लहु वअअुजुबिक मिन शररीहि व शररी मा सुनिअ लहु. ऐ अल्लाह! सारी प्रशंसाएं तेरे ही लिए हैं। तुझ ही ने मुझे यह लिबास पहनाया, मैं तुझ से इसकी भलाई और जिसके लिए इसे बनाया गया है उसकी भलाई का सवाल करता हूं और मैं इसकी बुराई से और जिसके लिए इसे बनाया गया है उसकी बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं। (अबु दाऊद 4020)

2. दायीं तरफ से कपड़ा पहनना सुन्नत है। इसकी दलील आइशा रजियल्लाहु अन्हाकी यह रिवायत है

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّمَّيُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلُّهُ، فِي طُهُورِهِ وَرَجُلِهِ وَتَعَلُّمِهِ

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर काम को दायीं तरफ से शुरू करने को पसन्द करते थे। चाहे वह वुजू करने का मामला हो या कंधी करने का या जूता पहनने का। (मुत्तफ़्क अलैह . 268 426)

इसी प्रकार जब जूते पहनते तो दायीं ओर से शुरू करते और जूते उतारते समय बायीं तरफ का जूता उतारते फिर दायीं तरफ का। इसकी दलील हज़रत अबु हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

إِذَا أَنْعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْدُأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَنْدَأْ بِالشَّمَالِ، وَيُنْتَعِلُهُمَا جَيْعاً، أَوْ لِيُخْلِعُهُمَا جَيْعاً

“जब कोई व्यक्ति जूता पहने तो पहले दाएं पांव में पहने और जब जूता उतारे तो पहले बायां पांव से उतारे। या तो



इस्लामी फ़िकह

दोनों जूते पहन कर रहे या फिर दोनों को उतार दे।
(मुत्तफ़क अलैह 5495, 5855)

हदीस में एक जूता पहन कर चलने की मनाही भी आयी है।

3. मुसलमान के लिए यह भी सुन्नत है कि वह अपने कपड़े और जिस्म को साफ़ सुथरा रखे और इन दोनों की पाकी का भी आयोजन करे। इसके लिए हर प्रकार का सिंगार व खुश मन्द होने की बुनियाद सफाई सुथराई है। इस्लाम ने सफाई सुथराई का आयोजन करने और जिस्म व लिबास को साफ़ रखने की तर्गीब दी है।

सफेद कपड़े पहना मुसतहब है इसकी दलील इन्हे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

اَبْسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْأَيْاضَ فِي اَهَٰءِ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

तुम लोग सफेद रंग के कपड़े पहनो, यह तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतर है और अपने मुर्दों को सफेद कपड़ों का कफन दिया करो। (अबु दाऊद 915) वैसे तमाम रंग जायज हैं।

2. लिबास और जायज़ श्रृंगार में सन्तुलन रखना चाहिए। अल्लाह का इशारा है

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا مِمْ نُسِرٍ فُوَّا وَلَمْ يَقْرُبُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْاماً ﴿٦٧﴾ [الفرقان: ٦٧]

“और जब वह (मोमिन) खर्च करते हैं तो न बेजा खर्च करते हैं और न कंजूसी, बल्कि इन दोनों के बीच सन्तुलित तरीके पर खर्च करते हैं। (सूरह अल फुरक़ान आयत 67)



इस्लामी फ़िक्रह

और सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इश्राद मन्त्रूल है कि “खाओ, पियो, पहनो और सदक़ा व खैरात करो और इन कामों में बेजा खर्च, गर्व व घमंड और दिखावा से बचो।



शादी के अहकाम

निकाह सही होने की शर्तें

1. पति व पत्नी की रज़ामन्दी: अतएव किसी बालिग व आकिल मर्द को किसी ऐसी औरत से शादी करने पर मजबूर करना सही नहीं है जिससे वह शादी करने की चाहत न रखता हो और न ही किसी बालिगा व आकिला औरत को ऐसे आदमी से निकाह करने पर मजबूर करना सही नहीं है जिससे वह शादी करना न चाहती हो। इस्लाम ने औरत की मर्जी के बिना उसकी शादी करने से मना किया है। यदि औरत किसी व्यक्ति से निकाह करने के लिए तैयार न हो तो किसी के लिए भी यह जायज़ नहीं है कि उसे उस व्यक्ति से निकाह करने पर मजबूर करे चाहे वह उसका बाप ही क्यों न हो।

2. वली का होना : औरत के लिए वली के बिना निकाह सही नहीं होता। इसकी दलील नबी سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इशाराद है **إِنَّكَحْ لِمَنْ يُرِبِّي** ‘वली के बिना निकाह नहीं होता। (तिर्मिज़ी 1020)

यदि औरत ने स्वयं से ही अपने दाम्पत्य रिश्ते से बांध लिया तो उसका निकाह फ़ासिद होगा, चाहे उसने निकाह के काम को स्वयं अंजाम दिया हो या उसके लिए किसी गैर को अपना वकील बनाया हो। कोई काफिर किसी मुसलमान औरत का वली नहीं बन सकता और जिस औरत का कोई वली न हो उसका निकाह कराने की जिम्मेदारी शासक के सर है।



इस्लामी फ़िकह

वली से मुराद औरत का बाप, फिर वह जिसे औरत के बाप ने निकाह कराने की वसीयत की हो, फिर दादा ऊपर तक जो सबसे ज्यादा करीबी हो। फिर औरत का बेटा, फिर बेटे के बेटे नीचे तक।

फिर सगा भाई, फिर अल्लाती भाई, फिर सगे भाई के बेटे, फिर अल्लाती भाई के बेटे जो ज्यादा रिश्ते में करीब हो। फिर वह चचा जो माँ और बाप दोनों की तरफ से चचा होता है फिर वह चचा जो बाप की तरफ से हो। फिर इनके बेटे जो रिश्ते में ज्यादा करीब हो, फिर बाप का चचा, फिर उस चचा के बेटे, फिर दादा का चचा, फिर उसके बेटे। वली हो सकते हैं, औरत की शादी कराने से पहले उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है।

औरत को शादी के लिए वली की मौजूदगी की हिकमत ज़िनाकारी के चोर दरवाजे को बन्द करना है। इस लिए कि ज़ानी मर्द के लिए यह मुश्किल नहीं है कि वह औरत से कहे कि तुम इतने मेहर के बदले मुझसे शादी कर लो। फिर वह अपने दो साथियों का इसका गवाह बना दे या किसी और को गवाही के लिए तैयार कर ले।

3. दो गवाहों का होना: अक़द निकाह की मजिलस में दो या उससे ज्यादा भरोसे योग्य मुसलमानों का होना ज़रूरी है। यदि इससे ज्यादा लोग हों तो और बेहतर है और उन गवाहों का परहेज़गार होना ज़रूरी है अर्थात् वे लोग गुनाहे कबीरा जैसे जिना और शराब नोशी आदि से बचने वाले लोग हों।



इस्लामी फ़िकह

अक़दे निकाह के कलिमात ये हैं कि होने वाला पति या उसका वकील यह कहे कि अपनी बेटी या अपनी वसीयत की हुई फ़्लां महिला को मेरे निकाह में दे दीजिए तो वली कहे कि मैंने अपनी बेटी या अपने तहत विलायत में रहने वाली फ़्लां महिला का आपके निकाह में दिया। और पति कहे कि मैंने फ़्लां महिला को अपनी पत्नी के तौर पर कुबूल कर लिया। पति चाहे तो इस काम के लिए किसी को अपना वकील भी बना सकता है।

4. महर होना : शर्अी तौर पर पसन्दीदा यह है कि महर की मात्रा कम हो। जो महर कम और आसानी के साथ तुरन्त अदाएगी योग्य हो वह अफ़ज़ल है। सुन्नत यह है कि अक़द निकाह में महर का ज़िक्र किया जाए और अक़द निकाह के साथ तुरन्त उसकी अदाएगी कर दी जाए। महर को देर से अदा करना या महर के कुछ हिस्से को टाल कर अदा करना भी सही है।

यदि पति ने संभोग से पहले पत्नी को तलाक़ दे दी तो पत्नी आधे महर की हक़दार होगी और यदि पति निकाह के बाद संभोग करने से पहले मर गया तो पत्नी को उसकी मीरास से हिस्सा मिलेगा और वह पूरे महर की हक़दार होगी।

निकाह के बाद साबित होने वाले हुकूक

1. खर्च: निकाह के बाद पति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पत्नी के खाने पीने, कपड़ों और रहने का भले तरीके से



इस्लामी फ़िकह

खर्च उठाए। यदि वह वाजिब मात्रा में कंजूसी से काम लेगा तो वह गुनाहगार होगा। औरत का पति के माल में से ज़रूरत भर खर्च लेने का हक़ है। पत्नी पति के नाम पर क़र्ज भी ले सकती है और उस क़र्ज की अदाएँगी पति के लिए लाज़िम है। पति के ज़िम्मे एक खर्च निकाह के बाद वलीमे की दावत करना है। यह सुन्नत है और इसका हुक्म दिया गया है। नबी करीम سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं भी अपने निकाह के बाद वलीमा की दावत दी और इसका हुक्म भी दिया।

2. विरासत: एक मुसलमान की किसी मुसलमान औरत से निकाह हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे की मीरास के हक़दार हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है: ‘तुम्हारी पत्नियां जो कुछ छोड़ कर मरीं और उसकी औलाद न हो तो उसमें से आधा तुम्हारा है और यदि उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, उस वसीयत के बाद जो वे कर गयीं हों या क़र्ज के बाद। और जो (तर्का) तुम छोड़ जाओ, उसमें उन के लिए चौथाई है, यदि तुम्हारी औलाद न हो और तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तर्का का आठवां हिस्सा मिलेगा, उस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो। और क़र्ज की अदाएँगी के बाद। (सूरह अल निसा आयत 12)

शादी व्याह की सुन्नतें और उसके शिष्टाचार

1. शादी का ऐलान करना और शादी शुदा जोड़े के लिए दुआ करना सुन्नत है। पति और पत्नी को यह दुआ दी



इस्लामी फ़िकह

जाएगी बारकल्लाहु लक व बारक अलैक वजमअ बैनकुमा
फिख्रैर 'अल्लाह तआला तुम्हारे लिए बरकत दे, तुम्हारे
ऊपर बरकत दे और तुम दोनों को भलाई में जमा करे।

मुबाशरत से पहले पति व पत्नी के लिए यह दुआ पढ़ना
सुन्नत है: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَنَّبَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

बिस्मील्लाही अल्लाहुम्म जन्निबना शशैतान वजन्निबी
शशैतान मा रजक्तना "अल्लाह के नाम से शुरू, ऐ
अल्लाह! हमें शैतान से बचा और शैतान को हमारी औलाद
से दूर रख।

3. पति व पत्नी दोनों के लिए मुबाशरत के दौरान की
बातों को बयान करना मकरुह है।

4. पति के लिए हैज़ व निफास की हालत में पत्नी के
साथ मुबाशरत करना हराम है और पाक होने के बाद जब
तक औरत गुस्से न कर ले उसके साथ मुबाशरत करना
जायज़ नहीं है।

5. पति के लिए पत्नी के पिछले हिस्से में मुबाशरत करना
हराम है। यह कबीरा गुनाहों में से है जिसे इस्लाम ने
हराम ठहरा दिया है।

6. पति के लिए पत्नि को मुबाशरत का पूरा हक़ देना
वाजिब है। पति के लिए यह भी वाजिब है कि वह पत्नी
की इजाज़त के बिना हमल के खतरे से या किसी और
ज़रूरत के तहत अज्ज़ल न करे।



पत्नी की विशेषताएं जो ज़रूरी हैं

शादी का मक्सद एक दूसरे से आनन्द व मज़ा लेने और एक सदाचारी परिवार और अच्छे समाज की रचना है। जब पत्नी जाहीरी व माअनवी दोनों खूबियों वाली होगी तो यह बहुत ज़्यादा भलाई को हासिल करने का सबब बनेगा। जिन्सी खूबी व सुन्दरता से मुराद उसका मुकम्मल भरी पुरी औरत होना और माअनवी खूबी व जमाल से मुराद उसका दीनदार और नैतिक रूप से बेहतर होना है। लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत दीनदारी की है जैसा कि नबी करीम سल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने इसके तअल्लुक से वसीयत की है: औरत के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह नेक, सदाचारी और परहेज़गार मर्द की पत्नी बनने की कोशिश करे।

वे औरतें जिनके साथ निकाह हराम है

महरम औरतें दो तरह की हैं . एक वे जिन से निकाह हमेशा के लिए हराम है और दूसरी वे जिनसे निकाह सर्वकालिक तौर पर हराम है।

- 1. वे औरतें जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है,**
वे औरतें जो नसबी रिश्ते की वजह से हराम हैं ये सात प्रकार की रिश्तेदार औरतें हैं। अल्लाह तआला ने इस आयत में इनका जिक्र किया है:



इस्लामी फिकह

خَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلَّا تِي أَرْضَعْتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيكُمُ الْلَّا تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْلَّا تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِ الْأَبْنَاءُ كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَادِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَمُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ [النساء: ٢٣]

हराम की गयीं तुम पर तुम्हारी माएं और तुम्हारी लड़कियां और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की लड़कियां और बहन की लड़कियां। (सूरह अन निसा आयत 23)

- क— माओं के अन्दर दादियां और नानियां भी शामिल हैं।
- ख— बेटियों के अन्दर सुलबी बेटियां, पोतियां और नवासियां सब शामिल हैं नीचे तक।
- ग— बहनों के अन्दर सगी बहनें, अल्लाती और अख़्याफी बहनें सब शामिल हैं।
- घ— फूफियों के अन्दर सगी फूफियां, बाप की फूफियां सब शामिल हैं।
- ड. खालाओं के अन्दर सभी खालाएं, बाप की खालाएं, दादा नाना की खालाएं, माँ की खालाएं और दादी की खालाएं सब शामिल हैं।



इस्लामी फ़िकह

च. भाई की बेटियों के अन्दर सगे भाई की बेटियां, अल्लाती भाई की बेटियां, अख़्याफी भाई की बेटियां, बेटों की बेटियां और बेटियों की बेटियां नीचे तक सब शामिल हैं।

छ. बहन की बेटियों के अन्दर सगी बहन की बेटियां, अल्लाती बहन की बेटियां, अख़्याफी बहन की बेटियां, इन तमाम बहनों की बेटियों की बेटियां और इन तमाम की बेटियों की बेटियां नीचे तक सब शामिल हैं।

1. वे औरतें जो रज़ाअत (दूध पीने) की वजह से हराम हैं। ये औरतें हुर्मत के मामले में नसबी महरम औरतों ही की तरह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशार्द है:

يَحُرُّ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُّ مِنَ النَّسَبِ

रज़ाअत की वजह से भी तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसली रिश्ते की वजह से हराम हो जाते हैं। (मुतफ़क अलैह . 1447 2645)

लेकिन हुर्मत का सबब बनने वाली रज़ाअत के लिए कुछ शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है।

क— किसी बच्चे ने किसी औरत का पांच या इससे ज़्यादा बार दूध पिया हो। यदि बच्चे ने किसी औरत का चार बार दूध पिया है तो वह उसकी रज़ाओं मां नहीं होगी

ख. यह रज़ाअत दूध छोड़ने की उम्र से पहले की हो, अर्थात रज़ाअत के सबूत के लिए यह शर्त है कि पांच बार दूध पीने का अमल दूध छोड़ने की उम्र से पहले हो चुका हो। यदि बच्चे ने दूध छोड़ने की उम्र के बाद पांच बार



इस्लामी फ़िकह

किसी का दूध पिया या कुछ बार दूध छोड़ने से पहले और कुछ बार दूध छोड़ने के बाद किसी औरत का दूध पिया है तो वह औरत उसकी रज़ाओं मां नहीं होगी।

जब रज़ाअत की तमाम शर्तें पायी जाएंगी तो वह बच्चा दूध पिलाने वाली औरत के बेटे के हुक्म में होगा और उस औरत के बेटे बेटियां बच्चे के भाई बहन होंगे चाहे वे उस बच्चे से पहले के हों या बाद के। उस औरत के पति के बच्चे भी उस बच्चे के भाई बहन होंगे चाहे वे बच्चे दूध पिलाने वाली औरत से हों या किसी दूसरी औरत से। यहां पर एक बात को समझ लेना आवश्यक है कि दूध पीने वाले बच्चे की औलाद के अलावा उसके अन्य रिश्तेदारों का इस रज़ाओं रिश्ते से कोई संबंध नहीं होगा और यह रज़ाअत उन अन्य रिश्तेदारों के मामला में प्रभावी नहीं होगी।

3 वे औरतें जो शादी हो जाने की वजह से हराम हैं वे यह है:

क. बाप दादा की बीवियां . ज्यों ही किसी मर्द ने किसी औरत से निकाह किया तो वह औरत उसके बेटों, बेटों के बेटों उसकी बेटियों के बेटों पर नीचे तक हराम हो गयी चाहे उस मर्द ने उसके साथ मुबाशरत की हो या न की हो।

ख. बेटों की बीवियां: किसी मर्द के द्वारा किसी औरत से निकाह करने के बाद वह औरत उसके बाप और दादा नाना के लिए ऊपर तक केवल अक़द निकाह की वजह से हराम हो गयी, चाहे उसने उसके साथ मुबाशरत न की हो।

इस्लामी फ़िकह

ग. पत्नी की मां और उसकी दादी नानी: किसी मर्द के द्वारा किसी औरत से निकाह करने के बाद उस औरत की मां और उसकी दादी नानी केवल अक़द निकाह की वजह से उसके लिए हराम हो गयी। यद्यपि उसने पत्नी के साथ मुबाशरत न की हो।

घ. पत्नी की बेटियां, पत्नी के बेटों की बेटियां और पत्नी की बेटियों की बेटियां नीचे तक।

किसी मर्द के द्वारा किसी औरत से निकाह कर लेने और उसके साथ मुबाशरत कर लेने के बाद उस औरत की बेटियां, उसके बेटों की बेटियां और उसकी बेटियों की बेटियां नीचे तक उस मर्द के लिए हराम हो गयीं ये बेटियां चाहे पहले पति से हों या बाद के पति से हों। लेकिन यदि निकाह के बाद मुबाशरत से पहले ही दोनों के बीच अलाहदगी हो जाए तो ये तमाम औरतें उसके लिए हराम नहीं होंगी।

. वे औरतें जिनसे निकाह वक्ती तौर पर हराम हैं इसकी कुछ किस्में यह हैं:

क. पत्नी की बहन, उसकी फूफ़ी और उसकी खाला रिश्ता निकाह बाकी रहने तक मर्द के लिए हराम है। यदि पत्नी की मौत या तलाक़ की वजह से अलाहदगी हो जाए तो पत्नी की इद्दत खत्म होने के बाद वह उसकी बहन, फूफ़ी या खाला से शादी कर सकता है।

ख. दूसरे मर्द की इद्दत गुजारने वाली औरत: जब औरत दूसरे मर्द की इद्दत गुजार रही हो तो उसके लिए इद्दत के



इस्लामी फ़िकह

दौरान उससे निकाह करना या उसे निकाह का पैग़ाम देना जायज़ नहीं है। इद्दत खत्म हो जाने के बाद ये दोनों काम किए जा सकते हैं।

ग. वह औरत जो हज या उमरा की वजह से एहराम की हालत में हो ऐसी औरत से उस समय तक निकाह जायज़ नहीं है जब तक कि वह पूरे तौर पर एहराम से हलाल न हो जाए।

तलाक

तलाक असल में मकरूह है लेकिन जब तलाक देना अत्यन्त ज़रूरी हो जाए या तो इस वजह से कि औरत मर्द के साथ रहने में तकलीफ़ महसूस करती हो या इस वजह से कि मर्द को औरत के साथ रहने में यातना का अहसास होता हो या इस के अलावा कोई और बात हो जिसकी वजह से अलग होने के सिवा कोई रास्ता ही न रह गया हो तो इस स्थिति में अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर मेहरबानी करते हुए तलाक की इजाज़त दी है। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो तलाक देने में कोई हरज नहीं है। लेकिन पति के लिए तलाक देने से पहले निम्न बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है।

- वह हैज़ की हालत में पत्नी को तलाक न दे। यदि उसने हैज़ की हालत में तलाक दे दी तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी और एक हराम काम किया। ऐसी हालत में पति के लिए ज़रूरी है कि वह



इस्लामी फिकह

उससे रुजू करे और पाक हो जाने तक उसे अपने निकाह में रखे। फिर चाहे तो तलाक दे दे। बेहतर यह है कि उसे अपने निकाह में रखे यहां तक कि उसे दूसरी बार हैज़ आ जाए, फिर जब वह पाक हो जाए तो चाहे तो उसे अपने निकाह में रखे चाहे तो तलाक दे दे।

2. वह पत्नी को उस पाकी की हालत में तलाक न दे जिसमें उसके साथ मुबाशरत की हो जब तक कि उसका हमल ज़ाहिर हो गया हो अर्थात् किसी मर्द के दिल में पत्नी को उस समय तलाक देने का ख्याल आए जब कि उसने हैज के बाद पाकी की हालत में उसके साथ मुबाशरत की हो तो उसे चाहिए कि वह उस समय तक तलाक न दे, यहां तक कि औरत को दोबारा हैज आजाए, फिर वह पाक हो जाए यद्यपि यह मुद्दत लम्बी ही क्यों न हो, फिर पति चाहे तो उसके साथ मुबाशरत करने से पहले ही क्यों न हो, फिर पति चाहे तो उसके साथ मुबाशरत करने से पहले उसे तलाक दे सकता है यह कि उसका हमल ज़ाहिर हो गया हो या वह हामिला हो तो फिर उसे पाकी की हालत में मुबाशरत करने के बाद तलाक देने में कोई हरज नहीं है।

तलाक के असरात

चूंकि तलाक की वजह से पति व पत्नी के बीच अलाहदगी हो जाती है। अतः इसकी वजह से कई अहकाम सामने आते हैं:



इस्लामी फ़िकह

1. यदि पति ने निकाह के बाद पत्नी के साथ मुबाशरत की है या उसके साथ एकान्त में रहा है तो तलाक के बाद औरत पर इद्दत वाजिब होती है, लेकिन यदि उसने एकान्त में मुबाशरत से पहले तलाक दे दी है तो फिर औरत पर कोई इद्दत वाजिब नहीं होती। हैज़ वाली औरतों की इद्दत की मुद्दत तीन हैज़ है और जिसे हैज़ न आता हो उसकी इद्दत तीन माह है। यदि औरत हामला हो तो उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश तक है। इद्दत की हिक्मत पति को पत्नी से रुजू करने का अवसर फ़राहम करना और औरत हामिला है या नहीं इसको यकीनी बनाना है।

2. यदि पति पहले भी दो बार तलाक दे चुका है तो अब इस तीसरी तलाक के बाद पत्नी पति के लिए हराम हो जाएगी अर्थात् यह कि मर्द ने औरत को पहले कभी तलाक दी फिर इद्दत के दौरान उससे रुजू कर लिया या इद्दत गुज़रने के बाद फिर उससे निकाह कर लिया फिर उसने उसे दूसरी बार तलाक दे दी और इद्दत के दौरान रुजू कर लिया या इद्दत के बाद उससे निकाह कर लिया। फिर उसने अब तीसरी बार तलाक दी तो अब वह औरत उसके लिए उस समय तक हलाल नहीं होगी जब तक कि वह किसी दूसरे मर्द से सही तौर पर निकाह न कर ले। वह दूसरा पति उसके साथ मुबाशरत करे फिर वह किसी वजह से बे रगबत होकर उसे तलाक दे दे, तब ही वह पहले पति के लिए हलाल हो पाएगी। अल्लाह ने औरतों को पतियों के अत्याचारों से बचाने के लिए तीन तलाक के बाद पत्नी को पति के लिए हराम ठहरा दिया है।



खुलअ़

खुलअ़ यह है कि कोई औरत अपने पति को किसी वजह से हद से ज्यादा ना पसन्द करे और वह कुछ माल के बदले पति से अलाहदगी की मांग करे ताकि पति उसे तलाक़ दे दे और आज़ाद कर दे। यदि पति पत्नी को ना पसन्द करता हो और वह स्वयं अलग होना चाहता हो तो फिर उसे पत्नी से फ़िदया के तौर पर कोई माल लेने का हक़ नहीं है। ऐसी सूरत में पति या तो सब्र करते हुए पत्नी को अपने साथ बाकी रखे या फिर उसे तलाक़ देकर अलाहदा कर दे।

औरत के लिए भी यह ज़रूरी है कि वह पति से बिला वजह खुलअ़ की मांग न करे, हाँ अलबत्ता यदि उसे पति की ओर से बहुत अधिक यातना का सामना करना पड़ रहा हो और वह सब्र व सहन से बाहर हो तो वह खुलअ़ की मांग कर सकती है। इसी प्रकार पति के लिए भी यह जायज़ नहीं है कि वह जान बूझ कर पत्नी को कष्ट व यातना दे ताकि वह उससे खुलअ़ की मांग करे। और पति के लिए खुलअ़ के समय पत्नी से अदा किए गए मेहर से ज्यादा माल लेना भी मकरूह है।

निकाह को बाकी रखने या खत्म करने का अख्तियार

कुछ कारणों से पति व पत्नी दोनों को घरेलू जीवन के इस रिश्ते को बाकी रखने न रखने का हक़ है। जैसे कि पति को अपनी पत्नी के अन्दर या पत्नी को पति के अन्दर किसी बीमारी या पैदाइशी ऐब का पता चले जिसे निकाह



इस्लामी फ़िकह

से पहले ज़ाहिर न किया गया हो तो फिर दूसरे पक्ष को इस रिशते को बाकी रखने या न रखने का हक् होगा। जैसे

1. पति या पत्नी में से कोई एक पागल हो या उन दोनों में से कोई एक किसी ऐसे रोग का शिकार हो जिसकी नज़र से दूसरे पक्ष को पूरा दाम्पत्य जीवन का हक् हासिल न हो सकता हो तो उसे निकाह फ़स्ख (तोड़ने) का हक् होगा और पति को अपना दिया हुआ महर वापस लेने का हक् होगा।
2. पति महर के तुरन्त अदा करने पर सामर्थ न हो तो फिर पत्नी को इसकी वजह से निकाह फ़स्ख करने का हक् नहीं है।
3. तंग दस्ती व ग़रीबी की वजह से पति घर के खर्च को उठाने के योग्य न हो तो पत्नी जहां तक संभव हो इन्तिज़ाम करेगी। उसे शरअी अदालत के द्वारा निकाह फ़स्ख करने का हक् होगा।
4. जब पति लापता हो जाए और उसकी मौजूदगी का किसी को भी पता न हो, उसने पत्नी के लिए खर्च चलाने का इन्तिज़ाम भी न किया हो और न कभी किसी को पत्नी को खर्च पूरा करने की वसीयत की हो, न कोई व्यक्ति उस पर खर्च कर रहा हो और न पत्नी के पास माल हो जिससे वह अपने घर का खर्च उठा सके, फिर पति के वापस आने पर उससे वह माल हासिल कर ले तो ऐसी सूरत में उस औरत को शरअी अदालत के काज़ी के ज़रिए निकाह फ़स्ख करने का हक् होगा।



इस्लामी फ़िकह

गैर मुस्लिम के निकाह का मसला

गैर किताब वाली काफिर औरत से शादी करना एक मुसलमान के लिए हराम है और मुसलमान औरत के लिए भी किसी भी गैर मुस्लिम से शादी करना जायज़ नहीं है, चाहे वह किताब वाला हो या गैर किताब वाला। इसी तरह यदि कोई औरत कुफ्र की हालत में रहने के बाद पति से पहले इस्लाम स्वीकार कर लेती है तो उसके लिए यह जायज़ नहीं है कि वह पती के इस्लाम स्वीकारने से पहले उसे मुबाशरत करे गैर मुस्लिमों के निकाह से संबंधित कुछ अहकाम यहां पेश किए जाते हैं।

1. जब काफिर पति पत्नी इस्लाम स्वीकार कर लें तो वे अपने निकाह पर बाकी रहेंगे या यह कि कोई शरअी रुकावट हो तो फिर दोनों के बीच अलाहदगी करा दी जाएगी जैसे पत्नी पति की महरम हो या उस औरत से शादी करना इस्लाम में उस मर्द के लिए जायज़ न हो।
2. जब किताब वाली औरत का पति इस्लाम स्वीकार कर ले तो वे दोनों अपने पिछले निकाह पर बाकी रहेंगे।
3. गैर किताब वाले पति व पत्नी में से कोई एक यदि मुबाशरत से पहले इस्लाम स्वीकार कर ले तो उनका निकाह बातिल हो जाएगा।
4. किसी गैर मुस्लिम की पत्नी मुबाशरत से पहले इस्लाम स्वीकार कर ले चाहे मर्द किताब वाला हो या गैर किताब वाला यह निकाह स्वयं अपने आप टूट जाएगा, इसलिए कि मुसलमान औरत काफिर के लिए हलाल नहीं है।



इस्लामी फ़िकह

5. यदि मुबाशरत के बाद किसी काफिर की पत्नी मुसलमान हो जाए तो फिर इद्दत खत्म होने तक मामला ज्यों का त्यों रहेगा। यदि इद्दत खत्म होने के बाद पति ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो निकाह टूट जाएगा और पत्नी को अपनी मर्जी से किसी मुसलमान से शादी करने का हक् होगा और यदि उसे अपने पति से मुहब्बत है तो वह चाहे तो उसके मुसलमान होने का इन्तिज़ार करेगी। इस मुद्दत के दौरान मर्द पर औरत का पत्नी की हैसियत से कोई हक् नहीं होगा और न औरत के ऊपर मर्द का कोई हुक्म चलेगा।

यदि इन्तिज़ार के बाद मर्द मुसलमान हो गया तो वह औरत निकाह की तजदीद किए बिना उसकी पत्नी हो जाएगी। यद्यपि उसने कई सालों तक इन्तिज़ार किया हो। यदि किताब वाली औरत का पति मुसलमान हो जाए तब भी यही हुक्म होगा।

6. जब पत्नी मुबाशरत से पहले इस्लाम से फिर जाए अर्थात् मुर्तद हो जाए तो निकाह आप से आप फ़स्ख हो जाएगा और औरत को महर भी नहीं मिलेगा और यदि मुबाशरत से पहले पति मुर्तद हो जाए तब भी निकाह फ़स्ख हो जाएगा और मर्द के जिम्मे महर की पूरी रक़म की अदाएगी होगी और यदि पति व पत्नी में से कोई एक मुर्तद हो जाने के बाद फिर इस्लाम स्वीकार कर ले तो वे दोनों पहले निकाह पर बाकी रहेंगे, बर्त्ते कि इसकी वजह से उन दोनों के बीच तलाक की नौबत न आयी हो।



किताब वाली औरत से शादी के नुक़सानात

अल्लाह ने शादी व्याह को इस लिए मुबाह किया है ताकि लोगों के अखलाक़ ठीक रहें, समाज बुराइयों और गन्दगी से पाक साफ़ हो, शर्मगाह की हिफाज़त हो सके और समाज में ख़ालिस इस्लामी जीवन व्यवस्था स्थापित हो सके। और इसके द्वारा एक ऐसी मुसलमान उम्मत तैयार की जा सके जो इस बात की गवाही देती हो कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये उद्देश्य उसी समय पूरे हो सकते हैं जबकि एक मुसलमान सदाचारी, दीनदार, इज़्ज़तदार और अखलाक़ वाली औरत को अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करेगा। यदि आज के दौर में कोई मुसलमान जवाज़ की वजह से किसी किताब वाली औरत से शादी करता है तो उसके निम्न नुक़सानात सामने आ सकते हैं।

1. घर और खानदान के अन्दर का हानि: घर और खानदान की सतह पर इस प्रकार की शादी व्याह का प्रभाव यह हो सकता है कि यदि घर के निज़ाम में मुखिया पति है और वह प्रभाव शाली शख़सियत का मालिक है तो उसका प्रभाव पत्नी के ऊपर होगा और हो सकता है कि पत्नी उसके प्रभाव में रह कर इस्लाम स्वीकार कर ले।

लेकिन कभी इसके विपरीत भी होता है। घर में पत्नी का ज़ोर होने की वजह से वह हर वह काम करती है जो उसके दीन में जायज़ है जैसे शराब पीना, सुअर का गोश्त खाना और गैर मर्दों के साथ दोस्ती आदि। इस की वजह



इस्लामी फ़िकह

से एक मुसलमान परिवार टूट व बिखर कर रह जाता है और टूट फूट जाता है। इसकी वजह से बच्चों में बुराइयों के फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। मामला उस समय और ज़्यादा संगीन हो जाता है जब कट्टर व सरकश पत्नी बच्चों को ईसाईयों की इबादतगाह अर्थात् चर्च लेकर जाती है। वहां वे ईसाईयों की इबादत के तरीकों को देखने के आदी बनते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर होता है और जो व्यक्ति किसी अमल को करते हुए जवान होता है वह उसी पर बूझा भी होता है।

अर्थात् मरते दम तक उसका प्रभाव बाकी रहता है।

2. सामाजिक स्तर पर उसके नुक़सानात्, मुस्लिम समाज में किताब वाली औरतों की बढ़ती संख्या अपने आप में खतरनाक है। इन की मौजूदगी मुस्लिम समुदाय के लिए फिकरी यलगार का रूप अख्तियार कर सकती है। ये औरतें जो ईसाई समाज व धर्म की आदतें व बातें अपनाएंगी उसका नतीजा नैतिक पतन व समाजी बिगाड़ के रूप में ज़ाहिर हो सकता है। उनके इस्लाम विरोधी काम व रहन सहन में सबसे ऊपर मर्दों और औरतों के बीच घुलना मिलना और उनका नंगा लिबास पहनना है। इसके अलावा भी उन की बहुत सी गतिविधियां इस्लामी शिक्षा के खिलाफ़ होती हैं।



هذا الكتاب منشور في

